न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 10.2.2023 को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:30:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
106/2012	21-03-2012	10/02/2023

बउनवान :-

01. बुधा पुत्र रतिया, मृतक
    01/01 – मिस्सर
    01/02 – बलबीर
    01/03 – रोहिताश
    01/04 – चमेल पुत्री बुधा जाति गुर्जर निवासी माजरी गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर।
02. प्रभु पुत्र रतीया जाति गुर्जर निवासी ग्राम माजरी गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर।

----:: वादीगण

बनाम

01. मदन
02. लीलाराम पुत्रान जीसुख जाति गुर्जर निवासी माजरी गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर।
03. कन्हैयासिंह पुत्र रिछपालसिंह
04. भागीरथ पुत्र रिछपालसिंह
05. बगडावतसिंह
06. हुकमसिंह पुत्रान विसनसिंह
07. मु0 वीरबाई बेवा विशनसिंह जाति राजपूत निवासी मुण्डाना तहसील तिजारा जिला अलवर

----:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती राजस्व रेकार्ड एवं हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

सूक्ष्म वृतान इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह वाद इश्तकरार हक, दुरूस्ती राजस्व रेकार्ड एवं हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 535 मिन रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम मुण्डाना तहसील तिजारा वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजी थी, जिस पर वादीगण बहेसियत खातेदार काश्तकार काबिज व दखील चले आ रहे हैं। साबिक जमा[illegible] वाके ग्राम मुण्डाना में वादीगण के नाम का खातेदारी में इन्द्राज हो रहा हैं। बन्दोबस्त विभाग ने सा[illegible] खसरा नम्बर 535 मिन रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 733 रकबा [illegible] बीघा 13 बिस्वा [illegible] खसरा नम्बर 734 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम मुण्डाना तहसील तिजारा जिला अलवर [illegible] खसरा नम्बरान में 535 मिन रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 733 में शामिल किया गया हैं तथा शेष 2 बीघा 18 बिस्वा रकबा हाल खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:30:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा

शामिल किया गया है। मौके पर हम वादीगण ने हाल खसरा नम्बर 733 व 734 का एक ही खेत बना रखा हैं। बन्दोबस्त विभाग ने जमाबन्दी संवत् 2029 तैयार की उसमें गलततोर से खिलाफ मौका व खिलाफ कानून वादीगण को सूचित किये बिना खसरा नम्बर 733 व 734 पर खाता नम्बर 4 में प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पिता जीसुख पुत्र जालिम 1/3 भाग तथा प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 के पिता तथा 5 व 6 के दादा व नम्बर 7 के ससुर रिछपाल सिंह का 1/34 भाग खातेदारी में अंकित कर दिया और इसी प्रकार उसके बाद तैयार की गई जमाबन्दियात ताहाल व अन्य राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज होते चले आ रहे हैं। वादीगण को इस गलत इन्द्राजात की जानकारी नही थी दिनांक 19.09.97 को पटवारी हल्का से जानकारी होने पर राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की। प्रतिवादीगण से गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतु कहा तो टालम टोल करते रहे व दिनांक 01.10.97 को रिकार्ड दुरूस्त कराने से मुकर गये। प्रतिवादी संख्या 04 भागीरथसिंह ने उपरोक्त गलत इन्द्राज के आधार पर आराजी खसरा नम्बर हाल 733 व 734 के 1/9 भाग का बयनामा दिनांक 10.09.1997 को बहक प्रतिवादी नं0 1 मदनलाल के हक में तहरीर व तकमील कराकर पंजीयन करा दिया। बयनामा बिला कब्जा तहरीर कराया हैं, जो हकूक वादीगण के विरूद्व शून्य हैं। अतः दाव वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे। प्रतिवादीगण के नाम के इन्द्राज को हजफ किया जावे। प्रतिवादी नं0 4 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 के हक में तहरीर बयनामा को हकूक वादीगण के विरूद्व शून्य करार दिया जावे। हाल आराजी ख0नं0 733 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा व 734 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम मुण्डाना तहसील तिजारा की तन्हा खातेदारी की आराजी से प्रतिवादीगण वादीगण को जबरन बेदखल नही करे, उनके कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की मजाहमत मदाखल पैदा नही करें, आराजी का दीगर जगह रहन बय नही करें, इस आशय का हुक्तइम्तनाई दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे। वादीगण ने वाद में सूची अनुसार दस्तावेज संलग्न किये हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण समन की तामील के उपरान्त अनुपस्थित रहे अतः उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

दौराने विचाराधीन वाद आजाद एवं अन्य निवासीगण कमालपुर तहसील टपूकडा हाल काश्तकार वाके ग्राम मुण्डाना के एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत किया, जिसे प्रार्थीगण द्वारा विड्रा कर लिया गया।

वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के उपरान्त वादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत की गई। लिखित बहस वकील वादीगण एक पक्षीय शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा लिखित बहस वकील वादी पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि साबिक जमाबन्दी संवत् 2016 से 2019 में वादीगण बुधा, प्रभू पि0 रतिया खसरा नम्बर 535 मिन रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा के खातेदार हैं तो इसी खसरा नं0 535 मिन प्रतिवादीगण के बुजुर्गान भी 6 बीघा 16 बिस्वा के खातेदार है अर्थात साबिक खसरा नम्बर 535 का रकबा काफी बडा था जो विभिन्न आसामियों की खातेदारी में मिन नम्बर के रूप में अलग-अलग रकबा में दर्ज था। मिलान क्षेत्रफल से यह स्पष्ट हैं कि हाल खसरा नम्बर 733 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 734 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:30:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

...535 से नही बने हैं इनमें अन्य साबिक खसरा नम्बरान मिन 600 व मिन 602 का रकबा भी शामिल हैं साबिक जमाबन्दी में वादीगण कुल रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा के खातेदार थे और वाद में हाल खसरा नम्बर 733 व 734 में हकूक खातेदारी चाह रहे हैं। यह रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा हो जाता हैं जो बिल्कुल उचित नही हैं। भू-प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी संवत् 2029 में खाता संख्या 59 में हाल आराजी खसरा नम्बर 733 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, 734 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 735 रकबा 1 बीघा, 736 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 737 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा किता 5 कुल रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा में वादीगण के 1/3 भाग के खातेदारी के हिस्से का अंकन हो रहा हैं जिसका रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा के लगभग हो जाता है।

उपरोक्त विवेचन से तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से मनन किया गया। वादीगण द्वारा हाल खसरा नम्बर 733 व 734 के हकूक खातेदारी दिये जाने का अनुतोष चाहा हैं जिनका रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा हो जाता हैं जबकि साबिक खसरा नम्बर 535 मिन का 5 बीघा 15 बिस्वा ही वादीगण या उनके बुजुर्गान के खातेदारी में था। हाल खसरा नम्बर 733 व 734 भू-प्रबन्ध विभाग ने संवत् 2029 में पेमूदा किये उसमें साबिक खसरा नम्बर 535 के अलावा अन्य साबिक खसरा नम्बरान यथा 600 व 602 का रकबा भी शामिल किया गया हैं जिनसे वादीगण का कोई सरोकार नही रहा हैं। वादीगण संख्या 2 प्रभु पुत्र रतिया के वारिसान शेरसिंह व अमरसिंह द्वारा दिनांक 21.05.2012 को प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 तथा इनके द्वारा आराजी के क्रेतागण दयाराम, सतीश, रामकरण, सुरेश जाति अहीर वाके ग्राम कमालपुर से राजीनामा/समझौता पत्र दिनांक 21.05.2012 को विवादित आराजी बाबत हो चुका हैं तथा आपसी समझौता पत्र आराजी खसरा नम्बर 733, 734, 735, 736 व 737 वाके ग्राम मुण्डाना की आराजी बाबत वादी संख्या 1/1 मिस्सर पुत्र बुधा जाति गुर्जर सा0 माजरी गुर्जर ने दिनांक 21.08.2012 को प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के साथ राजीनामा कर लिया था तथा प्रतिवादी संख्या 02 प्रभु के वारिसान शेरसिंह व अमरसिंह ने अपना व अपनी बहनों की तरफ से पत्रावली पर इस आशय का शपथ पत्र पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 733 व 734 वाके ग्राम मुण्डाना की बाबत प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के क्रेतागण से हमारा राजीनामा हो गया हैं कि हम कोई वाद विवाद नही करेंगे तथा साथ में प्रतिवादी संख्या 02 के वारिसानों ने दिनांक 23.01.2012 को आराजी खसरा नम्बर 733 व 734 वाके ग्राम मुण्डाना के बाबत उक्त वाद को बरवे राजीनामा नोट प्रेस भी किया जा चुका था। जो समस्त कार्यवाहियां शामिल मिसल है। Trilok chand Vs State and other DNJ(Raj) 71, Harjee Vs Behra Ram 2012 RRD 309, Bishana ram Vs Lali 2011 RRD 2012, Jaswant Singh Vs Bor And other DNJ (Raj) 793, Pooran Mal Vs Mst. Rukmani 2010 RRD 138, Nalhi Vs Jot Singh 2010 RRD 407 उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री योग्य नही पाया जाता है।

अतः इन समस्त तथ्यों को मध्येनजर रखते हुए वाद वादीगण काबिले डिक्री नही पाया जाता हैं। वाद खारिज किया जाता हैं।

आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:30:33 IST
Reason: SelfAttested

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर
106/2012

तारीख दायर
21-03-2012

तारीख फैसला
10/02/2023

बउनवान :-

01. बुधा पुत्र रतिया, मृतक
    01/01 – मिस्सर
    01/02 – बलबीर
    01/03 – रोहिताश
    01/04 – चमेल पुत्री बुधा जाति गुर्जर निवासी माजरी गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर।
02. प्रभु पुत्र रतीया जाति गुर्जर निवासी ग्राम माजरी गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर।

———:: वादीगण

बनाम

01. मदन
02. लीलाराम पुत्रान जीसुख जाति गुर्जर निवासी माजरी गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर।
03. कन्हैयासिंह पुत्र रिछपालसिंह
04. भागीरथ पुत्र रिछपालसिंह
05. बगडावतसिंह
06. हुकमसिंह पुत्रान विसनसिंह
07. मु0 वीरबाई बेवा विशनसिंह जाति राजपूत निवासी मुण्डाना तहसील तिजारा जिला अलवर

———:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती राजस्व रेकार्ड एवं हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: पर्चा डिक्री ::–

वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:30:33 IST
Reason: SelfAttested